(207)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2011 जिला–रींवा Review - 902-III/2011

अशोक कुमार मिश्रा पुत्र रामायणप्रसाद मिश्रा, निवासी– ग्राम मैंदानी, तहसील हुजूर, जिला–रींवा (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–रींवा

.... अनावेदक

श्री ... चतुर्वेदी, अभि॰ द्वारा आज दि. 13.6.11 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 594-II/2006 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 18.04.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन।

माननीय महोदय,

292/13.6.11

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में कई ऐसी वैधानिक त्रुटियां रह गयी हैं जिनके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।

2– यहकि, आवेदक द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन में जो आपत्तियां उठाई गई थी उन पर माननीय न्यायालय द्वारा न तो विचार किया गया और न ही विनिश्चयन किया गया है। अतः इस कारण माननीय न्यायालय का आदेश अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि होने से पुर्नविलोकन किये जाने योग्य है।

Dchaturvedi 13/6/11

3– यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन के आधारों में जो आपत्तियां उठाई गई थी उनका माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में न तो उल्लेख किया है और न ही विनिश्चयन किया गया है। अतः यह अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है जिसके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है :– 1981 आर.एन. 43, 1975 आर.एन. 160

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –902–तीन/11 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
21.6.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री राजीव गौतम पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 594–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 18.4.11 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 902–तीन/11 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 594–दो/06 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 18.4.11 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 902–तीन/11 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य